nt>

14.11 hrs.

Title: Further discussion on the Constitution (Amendment) Bill, 1999 (Omission of Article 44) moved by Shri Yogi Aditya Nath on 19.07.2002 (Bill withdrawn)

MR. SPEAKER: Now, the House shall take up Item No. 26 -- Submission to the Vote of the House of the following motion moved by Shri Yogi Aditya Nath on the 19th July, 2002, namely:--

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration. "

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुमा स्वराज) : अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में मैं माननीय सांसद से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगी, मैं माननीय सांसद से बहुत विनम्रता से यह कहना चाहूंगी कि उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक साधारण विधेयक नहीं है, संविधान संशोधन विधेयक है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए सदन में 50 प्रतिशत की उपस्थिति और उपस्थित सदस्यों का दो तिहाई बहुत चाहिए होता है। सदन में इतनी संख्या जुटाने के लिए सर्वदलीय सहमति बनानी बहुत आवश्यक है, अकेले एक दल की सहमति से इस तरह का संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सकता। सरकार राट्रीय सहमति बनाने का प्रयास करेगी और उसके बाद ही सरकार यह विधेयक ला सकती है। इसलिए मैं उनसे चाहूंगी कि वे इस बिल को विथड्रा करें, क्योंकि आगे के बिल इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इस बिल पर वोटिंग नहीं हो पा रही है, मत विभाजन नहीं हो पा रहा है। मैं चाहूंगी कि माननीय सांसद मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करें और इस बिल को विदड्रा करें।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): It will be rejected.

MR. SPEAKER: I would like to bring it to the notice of the House that we have already started the process of voting in this particular case. But if the House agrees, he can be permitted to ask for permission to withdraw the Bill.

...(*Interruptions*)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : No, Sir....(*Interruptions*)â€¦Today, they have no Members...(*Interruptions*)â€¦Let this be rejected. Let there be voting. We want it to be rejected.

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, जो आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होनी चाहिए, वे पूरी नहीं हुई हैं, लिहाजा इस विधेयक को रद्द माना जाये। दूसरी बात सुमा जी ने कही तो यह राट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन की सरकार है या बी.जे.पी. की सरकार है, यह भी तय होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिये। आप कहिये, आपको क्या कहना है।

श्री रामजीलाल सुमन : अभी सुमा जी ने कहा तो यह राट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन की सरकार है या बी.जे.पी. की सरकार है? इस विधेयक को रद्द मान लिया जाये।

SHRI V. DHANANJAYA KUMAR (MANGALORE): Why?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Why not?...(*Interruptions*)

श्री रामजीलाल सुमन : कहने का मतलब यह है कि इनका एक भी सहयोगी दल इनके साथ नहीं है।

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Let it be voted....(*Interruptions*)

श्री रामजीलाल सुमन : यह मानकर चला जाये कि सदन इसे रद्द करता है।

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, at this stage, he cannot withdraw it. It is the property of the House.

MR. SPEAKER: He has not asked for withdrawal. The hon. Minister of Parliamentary Affairs is asking it.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Why are you arguing at this stage?

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please sit down. आप सब लोग आराम से बैठिये, मैं आपमें से एक तो बोलने की इजाजत जरूर दे सकता हूं।

...(*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Let it be voted. The House will reject it....(*Interruptions*)

SHRI V. DHANANJAYA KUMAR : Voting on this particular Bill cannot be taken up for the simple reason...(*Interruptions*)â€¦As you have a right, I have also a right to speak...(*Interruptions*)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, on his behalf he cannot say. This is a Private Member's Bill. Only the private Member can say.â€¦ (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Let me know what Shri V. Dhananjaya Kumar wants to say.

...(*Interruptions*)

SHRI V. DHANANJAYA KUMAR : I am also asking as a private Member...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please sit down.

...(*Interruptions*)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, सरकार अपनी मंशा बताये कि सरकार की मंशा इस बिल के बारे में क्या है। दूसरे, यह राट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन की सरकार है या बी.जे.पी. की सरकार है, यह भी तय हो जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है। श्री धनंजय कुमार जी आप क्या कहना चाहते हैं ?

SHRI V. DHANANJAYA KUMAR : I would like to make a humble submission that since this is a Constitutional Amendment Bill, to initiate the process of voting, the mandatory minimum requirement is the presence of more than 50 per cent of the membership of the House. ...(*Interruptions*) Have I no right to make a submission? You have all been making submissions; let me also make a submission.

Only if we have more than 50 per cent of the membership of the House present during voting, we can take it up. Otherwise, we cannot take it up for voting. That is the technical situation.

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, सरकार मेहरबानी करके यह बता दे कि सदन में पूरी हाजिरी नहीं होती तो सरकार क्या करती ? यह बी.जे.पी. का दृष्टिकोण है या राट्रीय जनतांत्रिक गंठबंधन का दृटिकोण है। सुामा जी ने अभी जो बात कही, उससे साफ हो जाता है। â€¦ (व्यवधान)इनका एक भी सहयोगी दल यहां विद्यमान नहीं है। â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनकी स्पीच पूरी होने के बाद आपको बोलने की इजाजत देना चाहता था। आप बीच में उठकर कैसे बोल रहे हैं। आप तो पार्टी के बड़े लीडर हैं।

...(व्यवधान)

SHRI V. DHANANJAYA KUMAR : This is my humble submission. Now, a situation has arisen wherein the mandatory requirement of the presence of more than 50 per cent of the membership of the House is not there. So, we cannot take it up for voting. Let the Member be heard and if he is ready to withdraw it, it is fine.

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने समान नागरिक संहिता के सवाल पर पूरे देश के अंदर कोहराम मचाया था लेकिन जब इनको सत्ता का लोभ आया तो उन्होंने राट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में यह वायदा किया कि हम इन मुद्दों को दरकिनार करते हैं और इन मुद्दों को छूने का काम नहीं करेगे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के मामले उभारे हैं, आज इस सदन के माध्यम से अपने जनमत को संतुट करने के लिए अपने ही सदस्यों द्वारा इस तरह का विधेयक लाकर देश को गुमराह करना चाहती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस विधेयक के लिए जो औपचारिकताएं हैं, उन औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया है। इसलिए इसे रद्द किया जाये।

SHRI E. AHAMED (MANJERI): This House has to set a precedent. This will be the best of conventions and it will be followed in future. Here, the process is already set in motion. The House is seized of the matter. Only with the consent of the House, the hon. Member can withdraw it. If the House does not give the consent, he cannot withdraw; that is the rule. Last time, when the issue came up, hon. Speaker was not here; the entire House requested him − and agreed too − to withdraw it. The House gave its consent to withdraw, but he did not accept. Now, for reasons best known to everybody, he wants to withdraw it. But it cannot be withdrawn. The House does not agree to it now. Therefore, whatever decision the House takes now, I humbly submit it, will be the best of decision and it will be the best precedent. But he cannot withdraw it now.

MR. SPEAKER: He has not requested for withdrawal. He has been requested by someone else to withdraw.

SHRI E. AHAMED : But the process is already set in motion for voting. How can he withdraw it now?

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : This Bill is now a property of the House, first of all. After it was introduced and discussed, now we are in the stage of voting. It is the property of the House. It is true that the Member has every right to seek leave of the House to withdraw it as per rules; but we do not know whether he will do so or not. I know that Yogi Aditya Nath is one of the committed *sadhus* of India; he does not betray his conscience and his *samaj.* If he does it today, it is up to him. He is in a problem now. If he withdraws, he will be betraying his *samaj*; if he sticks to his position, he betrays his party; so, he is in a difficulty. We have sympathy for him. I will only appeal to him that in future he should not play double standards here and there. I feel that since it is the property of the House and we

are all agreeing, he can seek leave of the House to withdraw it; the moment he does it, the House would reject it with contempt outright.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, it is correct that the process of voting on the Motion has been set. You have already told that you want to seek the opinion of the House as to whether the hon. Member, if he so desires, is permitted to withdraw his Bill. Seeking the opinion of the House means seeking the opinion of the majority of the House. So, you may seek the majority opinion of the House and if the House permits, he may be allowed to withdraw.

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक माननीय सदस्य ने संविधान संशोधन विधेयक के लिए कहा कि आधे सदस्यों का, 273 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है और वोटिंग में कुल सदस्यों का दो तिहाई बहुमत होना आवश्यक है। दोनों सदनों में यह आवश्यक है। दूसरे सदन में विपक्ष मेजोरिटी में है। भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में है कि इस तरह का कानून बनाया जाए, परंतु हमारी मेजोरिटी नहीं है इसलिए यह कानून नहीं बन सकता। हमने अपने सदस्य से अनुरोध किया कि राट्रीय सहमति बनाए बिना यह सम्भव नहीं है इसलिए इसको विदड्रा करने की अनुमति दी जाए। उस पर भी यहां आपत्ति की जा रही है।â€¦ (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : जब जानते थे कि राज्य सभा में पारित नहीं होगा, तब क्यों यहां लाए ?

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट कर रहे हैं।â€¦ (व्यवधान) इन परिस्थितियोंमें अगर यहां पर कोई विदड्राल की बात आती है, उसको रिजेक्ट कर दें, विदड्रा के बाद क्यों रिजेक्ट करेंगे। हम खुद कह रहे हैं कि जिस दिन दो तिहाई बहुमत हो जाएगा, उस दिन यह बिल ले आएंगे, परंतु अभी हमारा दो तिहाई बहुमत नहीं है इसलिए आज इसका विरोध करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, जैसी बात हो रही है, यह सही नहीं है।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Mr. Speaker, Sir, we all know, as our List of Business also mentions, that it is 'submission to the vote of the House of the following Motion'. Up-till now we do not know the views of the hon. Member. All submissions are being made on anticipatory basis. Rule 110 at page 46 is very clear. Three specific grounds have been provided. It says:

> "The Member in charge of a Bill may at any stage of the Bill move for leave to withdraw the Bill on the ground that-
>
> 1. The legislative proposal contained in the Bill is to be dropped; or
> 2. The Bill is to be replaced subsequently by a new Bill which substantially alters the provisions contained therein; or
> 3. The Bill is to be replaced subsequently by another Bill which includes all or any of its provisions in addition to other provisions."

Therefore, Sir, it has to come under one of these grounds. There is no general clause of any other ground or reason. These are the only three grounds. Therefore, he has to say it clearly that this proposal is dropped altogether or he is not permitted because Shri Malhotra is shaking his head. How can he say that the Bill is to be replaced by a new Bill? Who is he to give that assurance? The Government of the day will do that since he has not been taken in the Ministry. VHP is showing its muscles and he is not accepting that.

There was a very innocuous request by the hon. Minister of Parliamentary Affairs. I have no doubt that it was all done outside but they have not looked into the rules. Rules do not permit them. It has either to be on the ground that he is dropping the proposal altogether or on the other two grounds. It is being said that it cannot be moved because there is no fifty per cent presence in the House.

How would it be determined? That would be determined by taking the vote here. Only then it could be determined whether there is 50 per cent presence or not. For quorum, the Marshal can count, but there is no procedure for counting 50 per cent presence. That has to be ascertained by voting. I do not know if he has done something contrary to the wishes of the powers that be or for the sake of keeping NDA together. Of course, they are all opportunist. Why are you bothering about them? They will remain with you. Therefore, my humble submission before you is that beyond Rule 110, no withdrawal can be permitted. Therefore, it has to be put to vote.

MR. SPEAKER: But he has not asked for withdrawal. Hon. Members must give me an opportunity to ask him.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुमा स्वराज) : अध्यक्ष जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि माननीय सोमनाथ जी यहां के वरिठ सांसद ही नहीं है बल्कि बहुत अच्छे वकील भी हैं। हर दिन और हर शुक्रवार को प्राइवेट मैम्बर्स बिल और प्राइवेट मैम्बर्स रैजोल्यूशन्स बदल-बदल कर आते हैं और हर बार जब वह मत विभाजन तक आता है तब सरकार की ओर से कहा जाता है कि आप उसको विदड्रा कर लें और वह विदड्रा होता है। यह आज की बात नहीं है। यह 13वीं लोक सभा है, कितने शुक्रवार आये, कितने विधेयक आये, कितने प्रस्ताव आये, हरेक का अंत यही होता है कि सरकार कहती है कि आप िवदड्रा कर लें और उसको वे विदड्रा करते हैं और कहीं पर कभी मत-विभाजन होता है। अभी इन्होंने कहा कि अगर इनके पास 50 प्रतिशत मैम्बर्स नहीं थे तो ये संिवधान संशोधन क्यों लाए? अभी इसके बाद जब आप दूसरा बिल लेंगे तो वह भी संविधान संशोधन है और वह आपकी तरफ से आया हुआ है। जितने विधेयक आते हैं उनमें आधे से ज्यादा संविधान संशोधन होते हैं। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज वे नया तर्क बनाकर कैसे दे रहे हैं? जो चीज 13वीं लोक सभा से हर शुक्रवार को घट रही है। दूसरी बात अभी उन्होंने कहा कि मैंने इन्नोकुअस स्टेटमेंट दिया। मैंने कोई इन्नोकुअस स्टेटमेंट नहीं दिया। अध्यक्ष जी, पिछले शुक्रवार आप पीठासीन नहीं थे, सभापति जी पीठासीन थे। यहां पर यह बिल आया और माननीय शिवराज पाटिल जी ने खड़े होकर एक बात कही कि सुमा जी, यहां तीन बार से

यह हो रहा है। कोरम का प्रश्न उठाकर सदन स्थगित कर दिया जाता है और अगले सारे बिल रह जाते हैं, यह abuse of procedure है। मैंने कहा कि अगली बार आने दीजिए, मैं स्वयं कुछ करुंगी। उनकी यह बात सदन में कही जाने के बाद कि यह abuse of procedure है, वरना यह ठीक है कि हर शुक्रवार को आगे सदन में कोरम का सवाल उठ सकता था, लेकिन मैंने स्वयं यह कहा कि मैं स्वयं आगे बढ़कर कुछ करुंगी, तो वही प्रोसीजर जो बाकी विधेयकों के बारे में अपनाया जाता है रहेगा। दूसरी बात, मैंने यह नहीं कहा कि 50 फीसदी नहीं जुटाए, मैंने यह कहा कि 50 फीसदी उपस्थिति और दो-तिहाई बहुमत जुटाने के लिए किसी विाय पर राट्रीय सहमति बनाने की जरुरत होती है। मैंने यह नहीं कहा कि यहां जुटाएं नहीं जा पा रहे हैं। राट्रीय सहमति बनाने का प्रयास जब तक नहीं होगा और कोई सहमति दलीय बनेगी नहीं, तब तक यह विधेयक नहीं लाया जा सकता है। इसलिए मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप इसको विड्रा कर लें। इसमें कौनसी नयी चीज घटी है, जो आज खड़े होकर कहा जा रहा है कि विड्रा मत कीजिए। अगला कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट जो आ रहा है माननीय सुरेश कुरूप जी का, वहां भी यही होगा, अल्टीमेटली सरकार कहेगी और अंत में वह विड्रा करेंगे और हर शुक्रवार को विड्रावल होता है। मैं माननीय शिवराज जी से कहूंगी कि वे इस पर रिस्पोंड करें क्योंकि उन्होंने जो बात कही थी उसी को मैंने आगे बढ़ाने की बात की है।

श्री शिवराज वि.पाटील (लातूर) : यह बात सही है कि पिछले सदन में और उसके पहले भी शुक्रवार के दिन कोरम नहीं होने की वजह से यह बिल नहीं आया और दूसरे सदस्य कह रहे थे कि हमारा बिल है, हमारा रैजोल्यूशन है, वे नहीं आते हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? हमने उत्तेजना में आकर कह दिया था कि यह अच्छी बात नहीं है और यह abuse of procedure है। माननीया संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसी समय कहा था कि कोई तो ऐसा हल निकालेंगे जिससे आपको शिकायत का मौका न आये। उन्होंने वह किया है। मैं उसको यहां पर एकनॉलिज करना चाहता हूं। दो-तीन चीजें मैं यहां पर ध्यान में लाना चाहता हूं। अगर कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो 50 प्रतिशत मैम्बर्स होने की जरुरत नहीं है, जो यह कह रहे हैं। जब वोट के लिए बिल जाता है तो 50 प्रतिशत मैम्बर्स को वोट करने और दो-तिहाई उपस्थित मैम्बर्स को वोट करना है। इस वक्त वह करने की जरुरत नहीं है। इसलिए उस मुद्दे को मैं ज्यादा लम्बा करना नहीं चाहता हूं। तीसरी बात जो यहां पर आई है जो माननीय सोमनाथ जी ने कही, वह बड़ी दुरुस्त बात है।

उन्होंने कहा है कि अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि यह लैजिसलेटिव प्रपोजल विदड्रा किया जाए, तो वे उठ कर कह सकते हैं। उन्होंने कह दिया कि वह विदड्रा कर रहे हैं, तो यह सदन की प्रापर्टी होने की वजह से हाउस कह सकता है कि ठीक है, आपने कहा, मगर हम नहीं चाहते हैं। उस स्थिति में वोटिंग होगी। फिर 50 प्र ातिशत सदस्य कहते हैं कि विदड्रा कर दिया जाए, तो विदड्रा कर दिया जाएगा। यह प्रोसीजर है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे सदस्यों ने गुस्सा जाहिर किया है और कहा है कि ऐसे महत्व के विाय को आप इतना लाइटली ट्रीट मत कीजिए। मन में आएगा, तो उसको दाखिल करेंगे और मन में आएगा कि कोरम नहीं रखना है, तो फिर उस पर चर्चा करायेंगे तथा अड़चन आएगी, तो विदड्रा करेंगे। फिर बोलेंगे कि कि देखिए, आपने क्या किया। इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर सदस्य उठकर कहना चाहते हैं कि इस लैजिसलेटिव प्रपोजल को वे आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और विदड्रा करना चाहते हैं, तो आपकी तरफ से राय ली जा सकती है।

श्रीमती सुामा स्वराज :उसमें सदन के सैंस की जरूरत है।

श्री शिवराज वि.पाटील : उसमें सैंस की भी जरूरत नहीं है। हम लोगों ने कहा, तो यह स्थिति होगी, पहले उनको कहने दीजिए। अगर किसी ने आब्जैक्ट किया, तो फिर देखना पड़ेगा।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : महोदय, समान अधिकार संहिता के संबंध में चर्चा हुई है। सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। वहीं विचार हम जनता के सामने रखना चाहते हैं कि वास्तव में जो लोग आप लोगों के बीच जाते हैं और संविधान की कसम खाते हैं, लेकिन संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। संविधान की धारा 14 इस बात के लिए बाध्य करती है कि देश में विधि के समक्ष किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं होगा। मौलिक अधिकार â€¦ (व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, why are you allowing him to speak? You please put it to the vote of the House....(*Interruptions*)

योगी आदित्यनाथ : महोदय, अपनी बात भी नहीं कहने दी जाएगी। यह कोई तरीका नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना भााण कर दिया है, लेकिन अब प्रश्न केवल इतना है कि आप इस विधेयक को विदड्रा करना चाहते हैं या नहीं। भााण तो दो बार हो गया है। आपको इजाजत इतनी है कि आप इस विधेयक को विदड्रा करना चाहते हैं या नहीं । अब ज्यादा भााण की जरूरत नहीं है।

...(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, he has already replied to the debate. So, he should not be allowed to give speech now.

MR. SPEAKER: What is exactly what I am telling him.

SHRI BASU DEB ACHARIA : He should say whether he is withdrawing it or not and nothing more than that.

योगी आदित्यनाथ : महोदय, मुझे अवसर नहीं मिला है कि मैं अपनी बात कह सकूं। मैं उसी बात पर आ रहा हूं। â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: The question now is whether you are prepared to withdraw the Bill or not.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You tell it straightaway.

...(*Interruptions*)

योगी आदित्यनाथ : महोदय, प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकार भी हैंâ€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: You may an ask permission for withdrawal. Otherwise, I will have to proceed with the voting.

योगी आदित्यनाथ : महोदय, इसी वास्तविक चर्चा को जनता के सामने लाना चाहता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बातें यहां पर कही हैं, मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूं। माननीय मंत्री जी ने आम सहमति की बात कही है। मैं यही चाहता था कि आम सहमति इस पर बनाने का प्रयास देश के अन्दर न केवल हमारा दायित्व है, बल्कि इनका भी दायित्व बनना चाहिए। इस विाय पर राट्रीय आम सहमति बनाने का प्रयास होना चाहिए। मैं माननीय मंत्रीजी का आभारी हूं कि उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं माननीय विजय कुमार मल्होत्रा जी का भी आभारी हूं और उन्होंने कहा है कि हमारी मैजोरिटी आने पर इस विधेयक को पुनः लायेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और इसके साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि â€¦ (व्यवधान)कभी कभी यहां वरिठ सांसदों का आचरण इस प्रकार का हो जाता है कि हमें अपनी बात भी नहीं कहने दी जाती । â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Are you asking permission for withdrawal or not?

SHRI BASU DEB ACHARIA : No, Sir. He is making a speech.

योगी आदित्यनाथ : दासमुंशी जी फिर खड़े हो गए हैं, वे सदन को कभी कभी कचहरी बना देते हैं। मेरा अनुरोध है कि मर्यादा का ख्याल करते हुए, वरिठ माननीय सांसद अपने विचार रखें। सरकार की ओर से माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है, उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। â€¦ (व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : कोई आश्वासन नहीं दिया है। â€¦ (व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : माननीय विजय कुमार मल्होत्रा जी ने बीजेपी की ओर से जो आश्वासन दिया है, मैं उससे भी पूर्ण रूप से सहमत हूं और संतुट हूं। आम सहमति के प्रश्न पर मैं इस विधेयक को â€¦ (व्यवधान)आम सहमति के प्रश्न पर आने वाले समय में जब हमारा बहुमत होगा, तो जनता के बीच में इस प्रश्न को ले जायेंगे।

MR. SPEAKER: Do you want to withdraw it or should I put it to the vote of the House?

योगी आदित्यनाथ : अध्यक्ष महोदय. मैं इस विधेयक को वापिस लेता हूं।

MR. SPEAKER: Let the matter be clear now. Please sit down. There is no stage for clarification.

â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: As I said earlier, the stage of withdrawl was in the last sitting. That stage has gone. But still the hon. Minister rightly made a request to the hon. Member to withdraw it. Now, he has consented to it and requested the Chair that he is seeking the permission of the House to withdraw the Bill.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : His speech should not go on record.

MR. SPEAKER: The only important point is that he wants to withdraw the Bill. It is for the House to decide whether he should be allowed to withdraw it. Only if the House agrees, I will proceed with the procedure. Otherwise, I will not be able to do that.

Is it the pleasure of the House that the Member may be allowed to withdraw the Bill? I can take the sense of the House. The hon. Member may seek leave of the House to withdraw his Bill.

योगी आदित्यनाथ : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने के अनुमति दी जाए।

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to withdraw the Bill further to amend the Constitution of India. "

The motion was adopted.

योगी आदित्यनाथ : मैं अपने विधेयक को वापस लेता हूं।

14.36-1/2 hrs.